न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), श्रीकरणपुर

पीठासीन अधिकारी : मूलचन्द लूणिया {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या : 68/2012

1. इन्द्र सिंह पुत्र मेहर सिंह जाति बावरी निवासी 3 एफ एफ ढाणी तहसील श्री करणपुर।
2. बलवन्त सिंह पुत्र मेहर सिंह जाति बावरी निवासी 3 एफ एफ ढाणी तहसील श्री करणपुर।
3. महेन्द्र सिंह पुत्र मेहर सिंह जाति बावरी निवासी 3 एफ एफ ढाणी तहसील श्री करणपुर (मृतक)
   - 3/1. मुखत्यार कौर पत्नि महेन्द्र सिंह जाति बावरी निवासी 3 एम.डी. तहसील घडसाना।
   - 3/2. सतनाम सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह जाति बावरी निवासी 3 एम.डी. तहसील घडसाना।
   - 3/3. महाकौर पुत्री महेन्द्र सिंह जाति बावरी निवासी 3 एम.डी. तहसील घडसाना।

--वादीगण--

बनाम

1. मिठू सिंह पुत्र मेहर सिंह जाति बावरी निवासी 3 एफ एफ ढाणी तहसील श्री करणपुर।
2. पम्मी उर्फ मलकीयत सिंह पुत्र मिठू सिंह जाति बावरी निवासी 3 एफ एफ ढाणी तहसील श्री करणपुर।
3. किशन सिंह पुत्र काकू सिंह माता सन्तो पत्नि सन्ता सिंह जाति बावरी निवासी मोहलां तहसील श्री करणपुर।
4. फती पुत्री काकू सिंह माता सन्तो पत्नि सन्ता सिंह जाति बावरी निवासी मोहलां तहसील श्री करणपुर।
5. गुड्डी पुत्री मक्खन सिंह माता सन्तो पत्नि रामचन्द्र जाति बावरी निवासी 66 एन पी तहसील रायसिंहनगर।
6. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व, श्रीकरणपुर।

--प्रतिवादीगण--

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,53,92ए,188 आरटीए

--निर्णय-- दिनांक : 04.03.2020

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के द्वारा वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि वादीगण के पिता मेहर सिह व माता धन्नो की मृत्यू हो चुकी है। वादीगण की दो बहनें सन्तो व रतनी व पांच भाई इन्द्र सिंह , महेन्द्र सिंह, बलवन्त सिंह, जोगेन्द्र सिंह व मिठू सिंह हुए। जोगेन्द्र सिंह की अविवाहित अवस्था में मृत्यू हो गई। बहन सन्तो की मृत्यू हो चुकी है। तथा सन्तों के पति काकू सिंह की भी मृत्यू हो चुकी है। सन्तो के एक लडका किशन सिंह व लडकी फती प्रतिवादी संख्या 3 व 4 है। रतनों की भी मृत्यू हो चुकी है। जिसकी एक लडकी गुड्डी प्रतिवादी संख्या 5 है। तथा लडका दरबारा सिंह की मृत्यू हो चुकी है। जिसकी पत्नि की भी मृत्यू हो चुकी है। चक 3 एफ एफ के खाता संख्या 82/76 के मु.न. 34 के किला न. 1 ता 25 की 6.074 हैक्टर कुल 24 बीघा नहरी व मु.न.58/18 के 1 बीघा गैरमुमकिन खाला कुल 25 बीघा भूमि वादीगण के पिता मेहर सिंह को बतौर पुख्ता अलॉटी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। यह भूमि मेहर सिंह को जीवों के आधार पर जिला पुर्नवास विभाग श्री गंगानगर द्वारा मेहर सिंह माता धन्नों, बलवन्त सिंह की पत्नि बचनों, तथा मृतक जोगेन्द्र सिंह व वादीगण कुल 7 जीवों को 25 बीघा भूमि आवटन हुई थी। आवटन के समय प्रतिवादी संख्या 1 का जन्म नहीं हुआ था। वादीगण व वादीगण के माता पिता द्वारा सन्तों व रतनों को उनके विवाह के समय काफी नगद जैवरात आदि दिया था तथा दोनों ने

इस भूमि में अपना-अपना हिस्सा तर्क कर दिया। फिर भी उनके वारिसान को प्रतिवादी संख्या 3 व 5 बनाया गया है। वादीगण के पिता के जीवनकाल में वादी संख्या 1,2,3 के कब्जा काश्त में 5-5 बीघा भूमि कब्जा काश्त में रही। एवं शेष 5 बीघा भूमि मेहर सिंह के कब्जा काश्त में रही। जिसमें वादी इन्द्र सिंह के कब्जा काश्त में मु.न. 34 के किला न. 7,14,17,24,20, बलवन्त सिंह के कब्जा काश्त में किला न. 8,9,10,11,12,13,18,19,22, महेन्द्र सिंह के कब्जा काश्त में किला न. 21 ता 25, मेहर सिंह के कब्जा काश्त में किला न. 1 ता 5, यह भूमि गैरखातेदार है जिसकी सनद जारी नहीं हुई है। मेहर सिंह की मृत्यू दिनांक 02.04.1992 को मृत्यू हो चुकी है। माता धन्नो की भी मृत्यू हो चुकी है। मेहर सिंह की मृत्यू के समय वह काफी बीमार थे व चल नहीं सकते थे। आवटंन के समय मिठू सिंह का जन्म नहीं हुआ था इसलिए उसका इस जमीन में कोई हक व हिस्सा नहीं था। प्रतिवादी मिठू सिंह व मलकीत सिंह ने मेहर सिंह के स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को खडा करके मेहर सिंह की फर्जी वसीयत दिनांक 22.04.1991 को प्रतिवादी संख्या 2 पम्मी उर्फ मलकीत सिंह के हक में तैयार करवा ली जो निम्न आधारो पर वादीगण के अधिकारों पर बेअसर है।

1. यह भूमि गैरखातेदारी हैं। कानूनन गैरखातेदारी भूमि की वसीयत नहीं की जा सकती ।
2. वसीयत दिनांक 22.04.1991 पर मेहर सिंह का अगूठा नहीं है। मेहर सिह अपनी मृत्यू से पूर्व काफी बीमार था।
3. आवटन के समय मेहर सिंह का केवल 1/7 हिस्सा था जिसके अनुसार उसके हिस्से में 3 बीघा 11 बिस्वा भूमि आती थी। जबकि वसीयत 5 बीघा भूमि की की गई।
4. वसीयत में यह दर्ज है। कि मिकर के चार लडके महेन्द्र सिंह, इन्द्र सिंह, बलवन्त सिंह व मिठू सिंह है। जबकि मेहर सिंह की दो लडकिया सन्तो व रतनी थी।
5. वसीयत में यह दर्ज है कि मिकर ने अपने चारो लडको महेन्द्र सिंह, इन्द्र सिंह, बलवन्त सिंह व मिठू सिंह को 5-5 बीघा भूमि बांटकर दे दी है। शेष 5 बीघा भूमि मेरे हिस्से मे है। यह भूमि अन्य लडको व लडकियों को नहीं देने का कोई कारण वसीयत में दर्ज नहीं किया है।

यह भूमि सात जीवों को अलॉट हुई थी। जिसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के हिस्से में 3 बीघा 11 बिस्वा भूमि आती है। इसी अनुसार इन्द्र सिंह 3 बीघा 11 बिस्वा, बलवन्त सिंह 3 बीघा 11 बिस्वा, खुद का 3 बीघा 11 बिस्वा, पत्नि बचनो का 3 बीघा 11 बिस्वा व महेन्द्र सिंह 3 बीघा 11 बिस्वा भूमि के हकदार है। जोगेन्द्र सिंह बचपन में फौत हो गया तथा वादीगण के माता पिता की मृत्यू हो चुकी है शेष 11 बीघा 16 बिस्वा भूमि मेहर सिंह धन्नो व जोगेन्द्र सिंह की थी। जिनकी मृत्यू के बाद वादीगण तथा प्रतिवादी संख्या 1 चारों बहिस्सा बराबर के हकदार हुए इस प्रकार प्रत्येक को 2 बीघा 14 बिस्वा भूमि हिस्से में आई। राज्य सरकार को जरिए तहसीलदार पक्षकार बनाया गया है। वादीगण दावा की मद संख्या 8 के अनुसार अपने-अपने हिस्सा की भूमि पर काबिज है। लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 व 2 मृतक मेहर सिंह की फर्जी वसीयत के आधार पर विवादित भूमि पर कब्जा करने एवं इन्तकाल दर्ज करवाने पर उतारू हैं । वादीगण ने प्रतिवादीगण को मद संख्या 8 के अनुसार विवादित भूमि को इन्तकाल दर्ज करवाने हेतु कहा तो उन्होने इन्कार कर दिया यही वाद कारण है। तथा वादीगण दावा ला पाने के अधिकारी है वाद पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में है। जो पूर्ण कोर्ट फिस पर है।

अतः दावा निम्न प्रकार से डिक्री किया जावे- चक 3 एफ एफ के मु.न. 34 व 58/18 की कुल 6.325 हैक्टर भूमि में वादी इन्द्र सिंह को 6 बीघा 5 बिस्वा भूमि, बलवन्त सिंह को 9 बीघा 16 बिस्वा भूमि, महेन्द्र सिंह को 6 बीघा 5 बिस्वा भूमि, तथा प्रतिवादी मिठू सिंह को 2 बीघा 14 बिस्वा भूमि का खातेदार मालिक घोषित किया जाकर विभाजन की डिक्री प्रदान की जावे एवं तथाकथित वसीयत दिनांक 22.04.1991 को फर्जी एवं शून्य तथा वादीगण के अधिकारो पर बेअसर घोषित कर प्रतिवादी के विरूद्व इस आश्य की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की

जावें कि मेहर सिंह की वसीयत दिनांक 22.04.1991 के अनुसार भूमि का इन्तकाल दर्ज करवाने व वादीगण के कब्जा काश्त में दखलअंदाजी करने से निषेध रहे। एवं अन्य कोई अनुतोष हो तो वादीगण को दिलाया जावे।

वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री योगेश बसल व प्रतिवादी संख्या 3,4,5 की ओर से गंगाराम प्रसाद शर्मा उपस्थित आए। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के द्वारा जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम पेश किया। काउन्टर क्लेम के अनुसार चक 3 एफ एफ के मु. न. 34 के 25 बीघा भूमि मेहर सिंह को अलॉट हुई थी। व मेहर सिंह उक्त पूरी जमीन का एकल स्वामी था। मेहर सिंह ने अपने पुरे होशो हवास में वसीयत दिनांक 22.04.1991 लिखवाई जिसमें स्पष्ट लिखा था। कि मेरे चारो लडको प्रत्येक को 5-5 बीघा भूमि दे दी है। व शेष 5 बीघा भूमि अपने पोते पम्मी उर्फ मलकीत सिंह जो मेरी सेवा करता है। उसे दे रहा हू। इस प्रकार से प्रतिवादी संख्या 2 मलकीत सिंह उक्त वसीयत की रूह से उक्त किला न. 1 ता 5 पर काबिज चला आ रहा है। वादी खुद ने वाद पत्र की मद संख्या 6 में दर्ज किया है कि वादी संख्या 1,2 व 3 के कब्जा में 5-5 बीघा भूमि चली आ रही है। इससे स्पष्ट है। वादीगण ने वाद पत्र की मद संख्या 6 में बलवन्त सिंह के पास 10 बीघा भूमि का कब्जा दिखाया है जो किस प्रकार से आया है वह दर्ज नहीं किया है। इसलिए वादी द्वारा खुद ही विराधाभासी कथन दर्ज किए है। वादीगण पर स्टौपल का सिद्वान्त लागु होता है। चक 3 एफ एफ के मु.न. 34 के किला न. 7,14,17,24,20 पर वादी इन्द्र सिंह का कब्जा है, किला न. 8,13,18,22,23 पर वादी बलवन्त सिंह का कब्जा है, किला न. 9,10,11,12,19 पर प्रतिवादी संख्या 1 मिठू सिंह का कब्जा है, किला न. 6,15,16,21,25 पर वादी महेन्द्र सिंह का कब्जा है। मेहर सिंह के कब्जा काश्त के मु.न. 34 के किला न. 1 ता 5 पर उक्त वसीयत की रूह से मेहर सिंह की मृत्यू के बाद उक्त किला न. 1 ता 5 पर मेहर सिंह के पोते मलकीत सिंह का कब्जा आज तक शांतिपूर्वक चला आ रहा है। अतः प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जाकर निम्न प्रकार डिक्री किया जावेः-

चक 3 एफ एफ के मु.न. 34 के किला न. 9,10,11,12,19 का प्रतिवादी संख्या 1 मिठू सिंह को खातेदार घोषित किया जाकर अलग खाता कायम किया जावे। चक 3 एफ एफ के मु.न. 34 के किला न. 1 ता 5 का उक्त वसीयत की रूह से प्रतिवादी संख्या 2 मलकीत सिंह को खातेदार घोषित किया जाकर अलग से खाता कायम किया जावे। अन्य कोई अनुतोष हो तो वादीगण से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को दिया जावे।

प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 की ओर से जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम पेश किया । काउन्टर क्लेम के अनुसार चक 3 एफ एफ के मु.न. 34 के 25 बीघा नहरी भूमि मेहर सिंह को आवटन हुई थी। प्रतिवादी संख्या 5 गुड्डी की माता रतनों प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 की माता सन्तो थी। जिन्होनें अपना हिस्सा तर्क नहीं किया जिसका हिस्सा सुरक्षित है। इसलिए प्रतिवादी संख्या संख्या 3 ता 5 वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 से अपनी भूमि का हिस्सा छूडा पाने की हकदार है एवं वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को अपने हिस्सा की भूमि में से बेदखल करके भूमि का कब्जा करने के अधिकारी है। विवादित भूमि में अपना-अपना हिस्सा विभाजित कर संबधित रिकॉर्ड में अमल दरामद करवाने के अधिकारी है । अतः प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 का काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 के हक में निम्न प्रकार से डिक्री किया जावेः-

चक 3 एफ एफ के मु.न. 34 के 25 बीघा भूमि का मेहर सिंह के वारिसान वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 की माता सन्तो-रतनो को बहिस्सा बराबर खातेदार घोषित करके सन्तो-रतनो का हिस्सा प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 के हिस्सा में आती कुल 8

<u>इन्द्र सिंह आदि बनाम मिठू सिंह आदि</u>

<u>वाद पत्र अंतर्गत धारा 53, 88, 188, 92ए आरटी प्रकरण संख्या 68/2012</u>

बीघा 6-1/2 बिस्वा भूमि में से वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 बेदखल करके कब्जा विवादित भूमि का दिलाया जावे। प्रतिवादी संख्या 3 व 4 को सन्तो का हिस्सा की भूमि का तथा प्रतिवादी गुड्डी को रतनो के हिस्सा की भूमि का मालिक खातेदार घोषित किया जावे एवं अन्य कोई अनुतोष प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 के हक बनता हो दिलाया जावे। वादी संख्या 3 महेन्द्र सिंह की मृत्यू होने पर प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 सीपीसी पेश हुआ जो बाद सुनवाई स्वीकार किया जाकर वादी महेन्द्र सिंह के वारिसान को बतौर वादी पक्षकार संयोजित किए जाने के आदेश दिए गए लाल स्याही से अंकन किया गया। जवाब काउन्टर क्लेम पेश हुआ। जवाब स्टेट पेश नहीं होने पर जवाब स्टेट बन्द किया गया। निम्न वाद बिन्दू कायम किए गए।

1. **आया कि क्या वादीगण चक 3 एफ एफ की जमाबन्दी संम्वत 2064 ता 67 के खाता संख्या 82/76 के मु.न. 34 व 58/18 की कुल 6.325 हैक्टर नहरी भूमि जो मेहर सिंह पुत्र सावन सिंह के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। इस भूमि के संबध में मेहर सिंह के द्वारा की गई वसीयत दिनांक 24.04.1991 को शून्य घोषित करवाकर वादी इन्द्र सिंह 6 बीघा 5 बिस्वा, वादी बलवन्त सिंह 9 बीघा 16 बिस्वा, वादी महेन्द्र सिंह 6 बीघा 5 बिस्वा व प्रतिवादी मिठू सिंह 2 बीघा 5 बिस्वा का खातेदार घोषित होकर खाता विभाजन करवाने का हकदार है? -वादीगण-**
2. **आया कि क्या वादीगण इस भूमि के सम्बन्ध में स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है? -वादीगण-**
3. **आया कि क्या प्रतिवादी संख्या 1 मिठू सिंह मु.न. 34 के किला न. 9,10,11,12,19 का खातेदार घोषित होकर अलग खाता कायम करवाने एवं प्रतिवादी संख्या 2 मलकीत सिंह मेहर सिंह की वसीयत दिनांक 24.04.1991 के अनुसार मु.न. 34 के किला न. 1 ता 5 का खातेदार घोषित होकर अलग खाता कायम करवाने का अधिकारी है? -प्रतिवादी संख्या 1 व 2 -**
4. **आया कि क्या इस विवादित भूमि में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1,3,4,5 की माता सन्तो व रतनो को बहिस्सा बराबर कर खातेदार घोषित किया जाकर सन्तो व रतनो के हिस्से का प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 को खातेदार मालिक घोषित किया जाकर अलग खाता कायम करवाने एवं इस भूमि से वादीगण व प्रतिवादीगण को बेदखल करवाने के हकदार है? -प्रतिवादी संख्या 3 ता 5-**
5. **आया कि क्या प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम मियाद बाहर होन के कारण खारिज योग्य है? -वादीगण-**
6. **अनुतोष।**

वादीगण व वादी अधिवक्ता उपस्थित नहीं होने पर वादीगण का वादपत्र अदम पैरवी अदम हाजरी में खारिज किया गया। व साक्ष्यवादी बन्द की गई। व प्रकरण काउन्टर क्लेम की हद तक जारी रखा गया। साक्ष्य प्रतिवादी में प्रतिवादी संख्या 2 पम्मी उर्फ मलकीत सिंह के ब्यान लिखे गए। साक्ष्य में गवाहन वादगत भूमि की जमाबन्दी सम्वत 2064 ता 67 चक 3 एफएफ प्रदर्श 1, भूमि का अलॉटमेन्ट आदेश प्रदर्श 2, असल वसीयत दिनांक 22.04.1991 प्रदर्श 3, असल वसीयत की प्रमाणित प्रति प्रदर्श 4 मेहर सिंह का मृत्यू प्रमाण पत्र प्रदर्श 5, मेहर सिंह का वारिसनामा प्रदर्श 6, पानी की पर्चिया प्रदर्श 7,8,9 प्रदर्शित करवायी। जिरह में गवाह ने जाहिर किया कि वादगत भूमि मेहर सिंह अकेले को अलॉट हुई थी। यह कहना गलत है कि मेहर सिंह की मृत्यू के बाद प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 अपनी माता सन्तो व रतनो का हिस्सा पाने का हकदार हो। वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 की भूमि पर नाजायज कब्जा कर रखा है।

प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 के द्वारा साक्ष्य पेश नही करने पर साक्ष्य बन्द की गई। वादी इन्द्र सिंह के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र 22 नियम 3 सीपीसी पेश किया जवाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं करने पर बन्द किया गया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 22 नियम 3 सीपीसी बाद सुनवाई प्रतिवादीगण

के काउन्टर क्लेम की हद तक स्वीकार किया जाकर वादी संख्या 1 मृतक इन्द्र सिंह के वारिसान को रिकॉर्ड पर लिए जाने के आदेश दिए गए। प्रतिवादी संख्या 1/2 ता 1/5 की ओर से अधिवक्ता श्री सुभाष गोयल ने वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादी संख्या 1/1 बाद तामील उपस्थित नहीं आने पर इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई। वादी संख्या 1 इन्द्र सिंह की ओर से जवाब काउन्टर क्लेम पेश है।

बहस सुनी गई। वादीगण अधिवक्ता के द्वारा अपनी बहस में जवाब काउन्टर क्लेम में अकिंत तथ्यों को दोहराते हुए काउन्टर क्लेम खारिज हेतु निवेदन किया। प्रतिवादी अधिवक्ता ने जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए काउन्टर क्लेम स्वीकार हेतु निवेदन किया, एवं यह भी निवेदन किया कि मेहर सिंह को 25 बीघा भूमि अलॉट हुई थी। मेहर सिंह ने इस भूमि की वसीयत दिनांक 22.06.1991 को की थी। जिसके सम्बन्ध में साक्ष्य भी पेश की गई थी। प्रतिवादी संख्या 3, 4, 5 बहन के वारिसान है जिनकी साक्ष्य बन्द है। वसीयत के अनुसार भूमि मलकीत सिंह के नाम दर्ज की जावे। प्रतिवादी संख्या 3, 4, 5 की ओर से बहस करते हुए निवेदन किया कि सभी वारिसान को बराबर-बराबर भूमि दी जाकर वाद डिक्री किया जावे।

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी का वादपत्र अदम पैरवी, अदम हाजरी में खारिज किया जा चुका है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के काउन्टर क्लेम के सम्बन्ध में प्रकरण विचाराधीन है। जिसके सम्बन्ध में वाद बिन्दू संख्या 3 व 4 का निर्णय निम्न प्रकार से हैः-

3. आया कि क्या प्रतिवादी संख्या 1 मिठू सिंह मु.न. 34 के किला न. 9,10,11,12,19 का खातेदार घोषित होकर अलग खाता कायम करवाने एवं प्रतिवादी संख्या 2 मलकीत सिंह मेहर सिंह की वसीयत दिनांक 24.04.1991 के अनुसार मु.न. 34 के किला न. 1 ता 5 का खातेदार घोषित होकर अलग खाता कायम करवाने का अधिकारी है?

-प्रतिवादी संख्या 1 व 2 -

इस वाद बिन्दू को सिद्व करने का भार प्रतिवादी संख्या 1 व 2 पर है। प्रतिवादी संख्या 2 के द्वारा अपनी साक्ष्य में विवादित भूमि की जमाबन्दी प्रदर्श-1, अलॉटमेन्ट आदेश प्रदर्श-2, असल वसीयत प्रदर्श- 3, वसीयत की प्रमाणित प्रति प्रदर्श- 4, मेहर सिंह का मृत्यू प्रमाण पत्र प्रदर्श- 5, मेहर सिंह का वारिसनामा प्रदर्श- 6, पानी की पर्चिया प्रदर्श- 7,8,9 प्रदर्शित करवायी गई। प्रदर्श- 1 में राजस्व भूमि मेहर सिंह के नाम दर्ज है। प्रदर्श- 2 के अनुसार वादगत भूमि मेहर सिंह को आवटित है। प्रदर्श- 3 वसीयत मेहर सिंह के अनुसार वादगत भूमि में मेहर सिंह के द्वारा अपने हिस्सा की 5 बीघा भूमि प्रतिवादी संख्या 2 पम्मी उर्फ मलकीत सिंह पुत्र मिठू सिंह जाति बावरी निवासी खरलां के हक में वसीयत की गई है। जो कि उपपंजीयक श्री करणपुर से पंजीकृत है। प्रदर्श- 5 के अनुसार वसीयतकर्ता मेहर सिंह की मृत्यू हो चुकी है। मेहर सिंह के द्वारा की गई वसीयत पंजीकृत दस्तावेज है। जिसे फर्जी एवं कूटरचित नही माना जा सकता। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 इस वाद बिन्दू को सिद्व करने में सफल रहे। इस वाद बिन्दू का निर्णय प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पक्ष में एवं प्रतिवादी संख्या 3,4,5 व वादीगण के विरूद्व किया जाता है।

4. आया कि क्या इस विवादित भूमि में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1,3,4,5 की माता सन्तो व रतनो को बहिस्सा बराबर कर खातेदार घोषित किया जाकर सन्तो व रतनो के हिस्से का प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 को खातेदार मालिक घोषित किया जाकर अलग खाता कायम करवाने एवं इस भूमि से वादीगण व प्रतिवादीगण को बेदखल करवाने के हकदार है?-प्रतिवादी संख्या 3 ता 5

इस वाद बिन्दू को सिद्व करने का भार प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 पर है। प्रतिवादीगण द्वारा इस वाद बिन्दू के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की साक्ष्य पेश नहीं की है। इस वाद बिनछू का निर्णय प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 के विरूद्व किया जाता है।

5. आया कि क्या प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम मियाद बाहर होने के कारण खारिज योग्य है?

इस वाद बिन्दू को सिद्व करने का भार वादीगण पर है। वादीगण के द्वारा इस सम्बन्ध में कोई साक्ष्य पेश नहीं किया है। जिससे यह सिद्व होता हो कि प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम मियाद बाहर है। इस वाद बिन्दू का निर्णय वादीगण के विरूद्व किया जाता है।

–वादीगण–

6. अनुतोष।

उपरोक्त तथ्यो के विवेचन एवं पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य सबूतों के आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जाकर मृतक मेहर सिंह की वसीयत दिनांक 22.04.1991 की रूह से चक 3 एफ एफ की जमाबन्दी सम्वत 2064 ता 67 के खाता संख्या 82/74 के मु.न. 34 व 58/18 की कुल 6.325 हैक्टर नहरी मय खाला भूमि में प्रतिवादी संख्या 2 पम्मी उर्फ मलकीत सिंह पुत्र मिठू सिंह जाति बावरी निवासी 3 एफ एफ ढाणी तहसील श्री करणपुर को 5 बीघा भूमि का खातेदार मालिक घोषित किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 काउन्टर क्लेम खारिज किया जाता है। उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री इस आश्य का जारी हो। पर्चा डिक्री की प्रति तहसीलदार श्री करणपुर को पालनार्थ प्रेषित की जावे। पत्रावली निर्णीत होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 04.03.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Moolchand Luniya
Date: 2020.03.05 16:31:43 IST
Reason: SelfAttested
Location: